कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2021–22 / 57 दिनांक :– 24/10/2021

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग

विषय :– यात्रा / चिकित्सा व्यय के बकाया देयताओं (Outstanding Liabilities) को पे–मैनेजर पर दर्ज / Upload करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ. 5(थ–75)डीटीए / IFMS/2306-2555 दिनांक 28.12.2020 एवं वित्त (आय–व्ययक अनुभाग) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त–1 / आ.व्य. / 2021 दिनांक 06.09.2021

——0——

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के प्रासंगिक परिपत्रों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी बिना कार्यालयवार बजट आवंटन के भी वित्तीय वर्ष 2021–22 के कार्यालय से सम्बद्ध देयताओं (यात्रा / चिकित्सा / कार्यालय व्यय आदि) के बिल पे–मैनेजर सिस्टम पर अनिवार्य रूप से आगामी 03 नवम्बर, 2021 तक बना लेवें। (यह बिल कोष कार्यालयों को बजट की कार्यालयवार आवंटन उपलब्धता होने पर ही फॉरवर्ड किए जा सकेंगे।)

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बकाया देयताओं के क्रम में पे–मैनेजर / IFMS सिस्टम पर दर्ज बकाया बिलों (Outstanding bills) के आधार पर ही विभाग को BFC में संशोधित अनुमान स्वीकृत किया जायेगा। अतः 03.11.2021 तक समस्त कार्यालय / विद्यालय अपने यहाँ बकाया समस्त बिलों / देयताओं यथा यात्रा / चिकित्सा / कार्यालय व्यय इत्यादि को पे–मैनेजर पर बनाकर Upload करना सुनिश्चित करावें ताकि वित्त विभाग से उसी अनुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत कराया जाकर उन्हें आवंटित किया जा सके। पे–मैनेजर / IFMS पर बकाया दायित्वों को Upload नहीं करने पर बजट का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।

Rajasthan Education Department

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2021–22 / 57 दिनांक :– 24/10/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, कार्यालय हाजा
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (संभाग कार्यालय) शिक्षा विभाग
3. सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (समाज शिक्षा), बीकानेर
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा विभाग
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक शिक्षा
7. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर
8. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
9. प्रबन्धक, गुरूनानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर
10. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
11. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, मूक बधिर अंध विद्यालय, अजमेर / जयपुर / बीकानेर / उदयपुर / जोधपुर / बांसवाड़ा
12. प्रधानाचार्य, प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर
13. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

25577-2122